मेरठ विकास प्राधिकरण

की

दूसरी बोर्ड बैठक

दिनाँक 21-1-77

का

कार्यवृत्त

दिनाँक 21-1-77 को आयुक्त कार्यालय, मेरठ में 11-00 बजे दिन में होने वाली बैठक की कार्यवाही एवं उपस्थिति :-

1-	श्री त्रिभुवन प्रसाद	अध्यक्ष
2-	श्री हौसिला प्रसाद वर्मा	उपाध्यक्ष
3-	श्री अरुण कुमार पचौरी	सदस्य
4-	श्री ए०के०खान प्रतिनिधि- अधि०अभि०, जलनिगम	सदस्य
5-	श्री रा०म०पाण्डेय, उपसचिव, वित्त विभाग	सदस्य

2- दिनाँक 7-12-76 की कार्यवाही जिसकी प्रतियाँ समस्त सदस्यों को पहले ही भेजी जा चुकी है, पढकर पुष्टि की गयी ।

3- मेरठ महायोजना पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई सभी आपत्ति कर्ताओं को उपस्थित होने की सूचना देने के उपरान्त की गयी और उन पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से प्राप्त आख्या पर भी विचार किया गया । उपस्थित आपत्ति कर्ताओं तथा उनके अधिवक्ताओं की ओर से तर्क सुने गये । मुख्य आपत्तियाँ वर्गीकरण के अनुसार निम्न प्रकार है ।

(क) आपत्ति क्रम सं०-1 से 30 तक

मोदीपुरम के बारे में आपत्तिकर्ताओं तथा उनके प्राधिकृत अधिवक्ताओं सर्वश्री जुमन्दर दास सिंघल तथा नरेन्द्र पास सिंह एडवोकेट को सुना गया । जो आपत्ति उद्योगों के स्थान व ट्रक टर्मिनल के बारे में प्राप्त हुई हैं वह उचित नहीं है क्योंकि प्रस्तावित उद्योग स्थल में वायुदिशा तथा सड़क व रेलवे लाईन की स्थिति का पूरा ध्यान रखा गया हैं अत: यह आपत्ति अस्वीकार की गयी ।

मोदीपुरम तथा मेरठ कैन्ट के बीच खाली रिक्त भूमि के नियोजन के बारे में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार किया गया । सुझाव नोट किया गया जिस पर यथासमय विचार किया जायेगा । इस पर मेरठ महायोजना के पुनर्निरीक्षण के समय विचार किया जायेगा, अभी नहीं ।

राजमार्ग की चौडाई व भूमि उपयोग के बारे में प्रस्तुत की गयी आपत्ति भी उचित प्रतीत नहीं होती है । इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्या को देखते हुए आपत्ति अस्वीकार की गयी ।

इसी प्रकार कुछ आपत्तियाँ इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि महायोजना के अन्तर्गत उनकी भूमि का अधिग्रहण न किया जाये । महायोजना में चूँकि किसी भी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है अत: यह आपत्तियाँ निराधार है और उन्हें अस्वीकार किया गया ।

ख - आपत्ति क्र० सं०-31

मोदीपुरम में प्रस्तावित केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जोन से सम्बन्धित आपत्ति पर विचार किया गया । आपत्ति उक्त क्षेत्र का लगभग सारा ही भाग पहले ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जोन के लिये निर्धारित है कुछ भाग महायोजना में पहले से ही प्रस्तावित मार्ग में आता है जिसका पुननिर्धारण सम्भव नहीं है अत: आपत्ति अस्वीकृत की गयी ।

ग- आपत्ति क्र० सं०- 32 से 34 तक

मेरठ तथा मोदीपुरम के बीच कृषि योग्य हरित पट्टी को आवासीय भूउपयोग में बदलने से सम्बन्धित आपत्तियों के बारे में श्री जी० सी० कपूर उपस्थित हुए । उन्होंने अपने स्पष्टीकरण के दौरान यह कहा कि महायोजना में प्रस्तावित भूउपयोग पर कोई आपत्ति नहीं है अत: उनकी आपत्ति निरस्त समझी जायें

सम्भवत: इस आपत्ति की वापसी भूमि नगर सीमारोपण अधिनियम के प्राविधानों से बचने के लिये किया गया है ।

आपत्ति सं०-33 व 34

आपत्ति सं०-33 व 34 जो निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुई, को विचारार्थ स्वीकार किया गया । श्रीमती एन० सिचियन की आपत्ति पर विचार किया गया । उनके द्वारा वर्णित भूमि का केवल थोड़ा सा भाग आवासीय क्षेत्र में है और बाकी भाग कृषि हरित पट्टी तथा मार्ग की चौडाई में है । अत: आपत्तिकर्ता की

मुख्य माँग यह है कि उनका मकान न गिराया जाये । चूँकि यह मकान पहले से बना हुआ है । अत: गिराने का प्रश्न ही नहीं उठता है । भविष्य में यदि वे अपने मकान का विस्तार करना चाहें तो उनको महायोजना में प्रस्तावित भूउपयोग के अनुसार ही करना होगा ।

यही बात ले० कर्नल श्री सिंघा पर भी लागू होती है ।

घ- आपत्ति क्र०सं० 35 से 60 तक

देहली मार्ग पर एन०सी०आर० प्रोजैक्ट सं०-2 राजकीय भूउपयोग से सम्बन्धित आपत्तियों पर आपत्तिकर्ताओं की ओर से श्री जी०सी०गर्ग एडवोकेट का तर्क सुना गया तथा इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्या पर भी विचार किया गया । सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता को यह विकल्प दिया गया कि दो (2) दिन के अन्दर खसरा नं०-2038 के उस भाग के बारे में जो प्रशासनिक भूउपयोग में पडता है, नियन्त्रक प्राधिकारिणी सभा के 27-9-76 के पूर्व निर्णयानुसार यह सूचित करें कि सम्बन्धित भूभाग का कौन सा आधा भाग वह आवासीय भूउपयोग में बदलवाना चाहते है । यदि इस अवधि में उनका कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो उनकी आपत्ति निरस्त समझी जायेगी । उक्त जबाब में आपत्ति कर्ता ने कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया अत: आपत्ति निरस्त की गयी ।

श्री राकेश कुमार गुप्ता आदि का यह तर्क था कि उनका भूउपयोग आवासीय रखा जाये जिस पर विचार किया गया तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्या पर भी विचार किया गया । इन्होंने हाल ही में अनाधिकृत निर्माण किया गया है अत: इनकी भूउपयोग बदलने की माँग अस्वीकार की जाती है ।

इसी प्रकार सर्व श्री सरदारी लाल, श्रीमती संतोष रानी, श्री वेदप्रकाश शर्मा, श्री प्रेम चन्द्र, श्री प्रेमपाल, मै० रामकिशन एन्टरप्राइजेज की आपत्ति के अनुसार भी महायोजना में संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है । अत: यह आपत्ति निरस्त की जाती है ।

(ड) आपत्ति क्रम सं०-61

देहली मार्ग पर एन०सी०आर० प्रोजैक्ट सं०-1 से सम्बन्धित श्री रामकृष्ण शर्मा की आपत्ति, जो आपत्ति आमन्त्रित करने के लिये निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुई थी, को विचारार्थ स्वीकार किया गया । आपत्तिकर्ता के उपस्थित न होने पर भी आपत्ति पर विचार किया गया । इन्होंने चूँकि ले-आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया है और न तो ऐसा कोई औचित्य ही बताया है कि प्रस्तावित भूउपयोग को बदलना अधिक श्रेयस्कर होगा अतः आपत्ति निरस्त की जाती है ।

आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक की आख्या के साथ सम्बन्धित आपत्तियों पर लिया गया निर्णय चार्ट रुप में बनाकर इस कार्यवाही विवरण के साथ में संलग्न रखा जाये तथा महायोजना को अन्तिम स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दी जाये ।

3- कोटला मण्डी को हटाकर सूरजकुण्ड के पास नई मंडी बनाने के सम्बन्ध में प्रशासक नगरपालिका, मेरठ के प्रस्ताव पर विचार।

नगर पालिका, मेरठ के प्रस्ताव पर विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्थल में कुछ भूमि पार्क तथा लघु उद्योगों के लिये आरक्षित भूमि में आती है । अतः इस स्थल के साथ प्रशासक गढ़ मार्ग पर प्रस्तावित व्यवसायिक स्थल में से मन्डी के लिये स्थल चुनकर वैकल्पिक प्रस्ताव साथ में रखे जिससे कि दोनों की तुलनात्मक उपयोगिता पर विचार कर आगामी बैठक में निर्णय लिया जा सके ।

4- मेरठ क्षेत्र में कम्पाउन्डिंग फीस के पुनरीक्षण पर विचार।

कम्पाउन्डिंग फीस के पुनरीक्षण पर विचार किया गया । प्रस्तावित दर जोकि महानगरों के विकास प्राधिकरणों एवं कई अन्य प्रमुख नगरों में क्रियान्वित हो चुका है, उसे मेरठ के लिये भी स्वीकार किया जाता है । स्वीकृत शैडयूल की एक प्रति कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न किया जाये ।

5- श्री अश्विनी कुमार को ड्राफटसमैन, सर्वश्री जोगेश चन्द्रा, वी०बी०गुप्ता को आर्कीटैक्ट का लाईसेन्स दिये जाने पर विचार।

सर्वश्री अश्विनी कुमार, योगेश चन्द्र, वी०बी०गुप्ता आदि को आर्कीटैक्ट का लाईसेन्स देने पर विचार किया गया। यह निश्चय हुआ कि श्री योगेश चन्द्र, वी०बी०गुप्ता तथा अन्य प्रार्थना-पत्रों पर योग्यता व अनुभव आदि के बारे में प्रमाण पत्र लेकर वर्तमान नियमों के अनुसार जाँच कर ली जाये और यदि वे पात्र समझे जायें तो उन्हें लाईसेन्स दे दिये जायें। श्री अश्विनी कुमार के बारे में यह निर्णय लिया गया कि उन्हें ड्राफटसमैन का लाईसेन्स देने पर तभी विचार किया जाये जब वे अपनी क्षमता के बारे मे संघीय नियोजक को पूर्ण आश्वस्त कर सकें। इसी प्रकार अन्य प्रार्थना पत्रों पर भी विचार किया जाये।

6- मेरठ विकास प्राधिकरण के बर्ष 1976-77 के बजट पर विचार।

प्राधिकरण के बर्ष 1976-77 के बजट पर विचार किया गया जो कि कुल 21,09,800-00 रुपये का है।

1- प्रस्तावित व्यय के बारे में निर्णय लिया गया कि ट्रक खरीदने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अत: तत्सम्बन्धी माँग अस्वीकार की जाती है।

2- जीप का वर्तमान मूल्य देखते हुए इसके लिये पचास हजार रुपये डीजल जीप खरीदने के लिये स्वीकार किया गया।

3- फर्नीचर के लिये प्रस्तुत माँग भी अधिक है। अत: यह निर्णय लिया गया कि जितना स्टाफ स्वीकार किया गया है उतने ही के लिये आवश्यक फर्नीचर खरीदा जाये।

4- सर्वे सामग्री के बारे में संघीय नियोजक से परामर्श कर खरीद की जाये।

5- भवन के किराये के बारे में निश्चय किया गया कि प्राधिकरण से नगरपालिका को होने वाले परोक्ष लाभ तथा नगर पालिका भी तत्सम्बन्धी विशेष स्थिति को देखते हुए मेरठ नगर पालिका को पचास पैसे प्रति वर्गफुट प्लिंथ एरिया के हिसाब से भुगतान किया जाये ।

6- भूमि के अधिग्रहण के बारे में यह निश्चय किया गया कि विभिन्न के स्थानों पर दूकानों के निर्माण के पहिले भूमि के अधिग्रहण पर विचार किया जाये ।

7- स्टाफ के बारे में जो विवरण बजट प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया गया है उसमें से एक चपरासी व एक ड्राईवर का पद अस्वीकृत किया गया । शेष प्रस्ताव स्वीकार किये गये । सचिव की नियुक्ति के लिये स्वायत्त शासन विभाग से अलग से अनुरोध किया जाये । सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति सीधे चुनाव द्वारा की जाये । जोकि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण (प्रशासक, नगरपालिका), संघीय नियोजक, जिलाधिकारी, मेरठ, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, मेरठ की उपसमिति चुनेगी । संशोधित बजट की एक प्रति कार्यवाही के साथ रखी जाये ।

7- मेरठ विकास प्राधिकरण में स्थानीय उपनियमों के बनाने व अन्य कार्यविधि पर विचार ।

मेरठ विकास प्राधिकरण में स्थानीय उपनियमों के बनाने व अन्य कार्यविधि पर विचार किया गया ।

1- वित्तीय कार्यविधि के बारे में यह निश्चय किया गया कि जो व्यय के मद विकास प्राधिकरण से स्वीकृत हों उनके भुगतान का प्राधिकार उपाध्यक्ष व सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को संयुक्त रुप से होगा और चैकों पर दोनों ही पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे । लेकिन अप्रत्याशित अनिवार्य व्यय प्राधिकरण के हित में करना यदि आवश्यक हो और जिसका प्राविधान बजट में न हो ऐसे मामलों में एक हजार (1,000-00) रुपये तक के व्यय के लिये अधिकार उपाध्यक्ष, मे०वि०प्रा० को होगा ।

2- छोटे-छोटे व्यय के लिये पाँच सौ रुपये की स्थायी अग्रिम राशि रखने के लिये भी उपाध्यक्ष, मे०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया ।

3- माडल उपविधियों (पृष्ठ-14) उत्तर प्रदेश के लिये तैयार किये जा रहे हैं उनके प्राप्त उनके प्राप्त होने पर उन्हें अंगीकार करने करने पर विचार किया जायेगा ।

8- राधा गार्डेन कालोनी, मवाना रोड के एग्रीमेन्ट पर विचार।

प्रस्तावित एग्रीमेन्ट पर विचार किया गया । यह निश्चय किया गया कि प्राधिकरण द्वारा अंगीकार किये गये वर्तमान स्पेसिफिकेशन के अनुसार विकास व्यय आकलन करके उनसे बैंक गारन्टी ले ली जाये तभी उपाध्यक्ष उनके एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर करें ।

9- घंटाघर पर डा० अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना बिषयक प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार किया गया यह निश्चय हुआ कि मूर्ति की स्थापना का उत्तरदायित्व लेने वाली संस्था से पूर्ण विवरण प्राप्त करके आर्कीटैक्चरल दृष्टि से इसका परीक्षण नगर नियोजन विभाग से करा लिया जाये । उसके बाद यह मामला आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

10- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित अन्य बातों पर भी विचार किया गया :-

1- सीलिंग की भूमि के बारे में संयुक्त निदेशक से अनुरोध किया जाये कि नगरीय उपयोग हेतु जो भूमि नगर में उपलब्ध हो उसे प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाये जिससे कि विकास योजनायें शीघ्र कार्यान्वित हो सकें ।

2- मोदीपुरम क्षेत्र के भविष्य के विकास के बारे में मोदी रबर लि० की ओर से प्रस्तुत किये गये पत्र पर विचार किया गया । उनके प्रतिनिधि श्री

वी०के०मोदी तथा श्री एस०एस०एल०कक्कड के विचार सुने गये । मोदी उद्योग समूह की ओर से निम्नलिखित सुझाव मुख्यत: रखे गये :-

क- मोदी उद्योग समूह वर्तमान उद्योग के आसपास अन्य उद्योग समूहों के सहयोग से कुछ भारी उद्योग लगाकर इस क्षेत्र का विकास करना चाहते है । अत: महायोजना में उसके लिये प्राविधान कर लिये जायें ।

ख - मोदीपुरम और मेरठ कैन्ट के मध्य रिक्त भूमि के लिये निर्धारित विकास योजना बनायी जाये जिससे कि इस क्षेत्र में अनियोजित विकास की समस्या पैदा न हो ।

ग- मोदी उद्योग समूह असहाय व्यक्तियों की सहायता के लिये विशेष शिक्षा केन्द्र स्थापित करना चाहता है और इसके लिये रेलवे लाईन के पश्चिम में एक सौ एकड भूमि की व्ययवस्था की जाये ।

घ- मोदी उद्योग समूह इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये रिसर्च एन्ड डवलपमेन्ट सेन्टर स्थापित करना चाहते हैं अत: इसके लिये उन्हें वर्तमान रेलवे लाईन तथा रुडकी रोड के बीच आवश्यक विस्तार के लिये व्यवस्था रखी जाये मन्दिर के साथ- साथ गुरुद्वारे, मस्जिद आदि के लिये भी आवश्यक प्राविधान किये जायें ।

ड- रेलवे स्टेशन से मोदीपुरम के लिये सीधी सडक का प्राविधान किया जाये ।

उपरोक्त सभी सुझावों पर पूर्ण विचार के बाद यह तय हुआ कि रेलवे साईडिंग के लिये वर्तमान योजनाओं में काफी व्यवस्था है । इसी प्रकार वर्तमान रिसर्च फार्म को हटाने की माँग भी स्वीकार नहीं हो सकती है ।

जहाँ तक अन्य सुझावों के बारे में विचार करने का प्रश्न है ये सभी सुझाव महायोजना में पुनरीक्षण के समय विचारणीय हो सकते हैं लेकिन उनके आधार पर वर्तमान प्रस्तावित महायोजना में संशोधन करना और उसके लिये

आपत्ति आदि आमन्त्रित करके पूरे नगर की महायोजना को रोकने का कोई औचित्य नहीं है ।

ह०/-	ह०/-
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण

कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।

ह०/-

अध्यक्ष

30-4-77